(29)

राजस्थान सरकार
<u>नगरीय विकास विभाग</u>

प.5(8)नविवि/3/99 जयपुर, दिनांक 16.7.2002

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.5.2000 में नगर विकास न्यास/प्राधिकरण/स्थानीय निकायों की अवाप्त या अवाप्ताधीन भूमि जिसे अवैधानिक रूप से भूखण्ड काट कर बेच दिये गये हैं तथा जिन पर अंशतः या सघन रूप से भवन निर्माण हो गये हैं में नियमन का निर्णय करने का अधिकार स्थानीय निकायों को दिया गया है। परिपत्र में अवाप्ताधीन भूमियों में जिनमें मुआवजे का भुगतान कर दिया है अथवा भुगतान किया जाना शेष है में भी अलग-अलग दरों का प्रावधान किया गया है।

प्रकरण पर समग्रता से विचार करने पर यह पाया गया कि चूंकि भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत 4 एवं 6 की अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा न्यास/स्थानीय निकाय के निवेदन पर जारी की जाती है तथा अवार्ड की स्वीकृति भी राज्य सरकार के द्वारा ही दी जाती है ऐसी स्थिति में प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर अवाप्त या अवाप्ताधीन भूमियों का नियमन का निर्णय लेना उचित नहीं है। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकायों की अवाप्त या अवाप्ताधीन भूमि में अंशतः रिक्त भूमि या सघन निर्माण होने की दशा में उनके नियमन का प्रस्ताव उनके द्वारा लेने पर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर उनके द्वारा नियमन किया जा सकेगा। किन्तु यदि निर्माण 50% से अधिक भूमि पर है तो न्यास/प्राधिकरण या स्थानीय निकाय अपने स्तर पर निर्णय कर सकेंगे।

राज्य सरकार को अधिकार होगा कि जिन अवाप्ताधीन भूमियों पर प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकायों के द्वारा काफी समय से योजना न तो बनाई गई है और अगर योजना बना दी है तो उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है तो ऐसी भूमियों पर राज्य सरकार खातेदार या भूमिधारक के प्रार्थना पर गुण व दोष देखते हुए नियमन का आदेश सम्बन्धित संस्था को दे सकेगी।

सहकारी समिति की किसी योजना में राजकीय भूमि आ जाने पर उसके नियमन का प्रावधान है। इसे स्पष्ट किया जाता है कि यदि योजना में शामिल राजकीय भूमि 2 बीघा तक है तो उसका नियमन स्थानीय निकाय/न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण कर सकेंगे 2 बीघा से अधिक भूमि होने पर उसके नियमन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)
16.7.02
(एस. एस. भारद्वाज)
उप शासन सचिव.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(5)

2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर ।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर ।
4. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की प्रतिलिपि शासन नगर निगम/परिषद/पालिका को अपने स्तर से भिजवाने का श्रम करें ।
8. समस्त नगर विकास न्यास,
9. रक्षित पत्रावली ।

16.2.02
उप शासन सचिव.

(348)
16